

Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

वण्डर सीमेंट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम रतनी वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 81 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र (रे.वि.) नं० 067 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने पूर्व प्रकरण के मूल प्रार्थना-पत्र प्रकरण संख्या 051/2021 (रे0वि0) अनवानी वण्डर सीमेंट वर्क्स बनाम रतनी वगैराह में प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात की वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं होने से कम्पनी उक्त प्रार्थना-पत्र पर वर्तमान में मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं कराना चाहती है, इसलिये उक्त प्रार्थना-पत्र को वापस (विड्रो) लेना चाहती है। उक्त प्रकरण में वर्तमान में कम्पनी आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इसलिये उक्त प्रकरण को इसी स्टेज पर वापस (विड्रो) किया जाने का आदेश फरमाया जावे जो कि मूल प्रार्थना-पत्र में शामिल पत्रावली है एवं इस प्रार्थना-पत्र में भी कार्यवाही विड्रो बाबत् प्रार्थना-पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है, रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील अप्रार्थीगण को पूर्व मे दिलवाई जा चुकी है। हाजिर वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत् कोई उज्र नहीं होना जाहिर किया। इस पर हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो का चिंतन-मनन किया। हस्तगत प्रकरण के मूल प्रार्थना-पत्र प्रकरण संख्या 051/2021 (रे0वि0) अनवानी वण्डर सीमेंट वर्क्स बनाम रतनी वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है, अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, फलत् अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् स्थगन चाहने को विड्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल प्रकरण संख्या 051/2021 (रे0वि0) अनवानी वण्डर सीमेंट वर्क्स बनाम रतनी वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">-S/d- (पीयूष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 16.08.2023</p>	

